"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 623] रायपुर, बुधवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2014—— अग्रहायण 19, शक 1936

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-281/गृह-सी/2014.—— यत: राज्य सरकार को सूचनाएं प्राप्त हैं कि निम्नलिखित संगठन आग्नेय अस्त्रों, विस्फोटकों एवं अन्य उपकरणों के उपयोग को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करते हुए, विधि प्रशासन में हस्तक्षेप करते हुए एवं विधि द्वारा स्थापित संस्थाओं की अवज्ञा को सुकर बनाते हुए तथा उनके द्वारा लोक व्यवस्था, शांति तथा नागरिकों की सुरक्षा में संकटापन्न करते हुए, विधि विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त है, जो कि राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल है ;

और यत:, निम्नलिखित संगठन की विधि विरुद्ध गतिविधियों के संबंध में, राज्य सरकार का, समाधान हो गया है कि ऐसे संगठन को विधि विरुद्ध संगठन के रूप में घोषित करना आवश्यक है.

अतएव, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्र. 14 सन् 2006) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संगठन को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये "विधि विरुद्ध संगठन " घोषित करती है, अर्थात् :-

"जनहित क्रांति पार्टी"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ-4-281/गृह-सी/2014.—— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10-12-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

Raipur, the 10th December 2014

NOTIFICATION

No. F-4-281/Home-c/2014.— Whereas, the State Government has reports, that the following organization is indulging into unlawful activity, actively encouraging use of fire arms, explosives and other devices, causing interference with the administration of law and facilitating disobedience to institutions established by law and thereby disturbing public order, peace and endangering safety of citizens, which is prejudicial to security of the State;

And whereas, having regard to the unlawful activities of the following organization, the State Government, is satisfied that it is necessary to declare such organization as unlawful organization;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Vishesh Jan Suraksha Adhiniyam, 2005 (No.14 of 2006), the State Government, hereby, declares the following organization as "unlawful organization" for a period of one year, with effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, namely :-

"Janhit Kranti Party"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. K. MATHUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.